सं. 8/3/2004-बीपी एंड एल

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून, 2005

आदेश

भारत सरकार एतदद्वारा यह निर्णय लेती है कि डीटीएच सेवाओं के लिए "लाइसेंस करार की अनुसूची" में निम्नलिखित 1.7, 5.2, 6.5 और 6.6 को खण्डों के रूप में जोड़ा जाएगा।

"1.7 : जहां लागू हो लाइसेंसधारी कम्पनी की इक्विटी संरचना में कोई परिवर्तन और शेयरहोल्डर करार में कोई संशोधन लाइसेंस प्रदान करने वाले के परामर्श से और पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।"

"5.2 : लाइसेंसधारी उपयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा प्राप्त करने वालों को कोई अश्लील चैनल अथवा गुप्त चैनल/राष्ट्र विरोधी संदेश देने वाला तथा इसी प्रकार का कोई अन्य चैनल प्राप्त न हो। यदि लाइसेंसधारी ऐसा करने में असफल रहने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।"

"6.5 : लाइसेंसधारी इस प्रकार के सिग्नलों का उपयोग नहीं करेगा जिनके विरूद्ध किसी विनियामक निकाय, न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय ने निम्नलिखित पाया है :

(i) टीआरएआई के विनियमों के उल्लंघन में किसी दूसरे डीटीएच ऑपरेटर को बिना किसी भेदभाव के इसे सुलभ कराने से मना किया गया है

(ii) कम्पनी अधिनियम सहित प्रतिस्पर्धा से संबंधित किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करना।"

"6.6 : लाइसेंसधारी केवल टीवी चैनलों के वितरण के लिए एकमात्र संविदा नहीं करेगा।"

"[**स्पष्टीकरण** : यह केवल लाइसेंसधारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने प्लेटफार्म, अपने सिग्नल शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करे कि क्या कोई प्रसारणकर्ता उपर्युक्त शर्तों की उल्लंघन करने वाला रहा है अथवा नहीं। प्लेटफार्म पर पहले से शुरू किए जा

रहे टीवी चैनलों के संबंध में लाइसेंसधारी लाइसेंस प्रदान करने वाले, टीआरएआई, न्यायाधिकरण अथवा किसी न्यायालय सहित प्रत्येक स्रोत से यह सुनिश्चित करेगा क्या संबंधित प्रसारण अथवा चैनल उपयुक्त शर्तों का उल्लंघन है। यदि लाइसेंसधारी की जानकारी में इस प्रकार का कोई उल्लंघन आता है तो वह तुरंत उक्त प्रसारणकर्ता के चैनलों को दिखाना तुरंत बंद कर देगा]"

उपर्युक्त प्रावधान तत्काल लागू होंगे और पहले से ही किए गए लाइसेंस करारों पर भी लागू होंगे।

(आर. पारासुरम)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को :-

1. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय।
2. सचिव, दूरसंचार विभाग।
3. सचिव, ग़ह मंत्रालय।
4. सचिव, वित्त मंत्रालय।
5. सचिव, राजस्व विभाग।
6. सचिव, अंतरिक्ष विभाग।
7. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।
8. सीईओ, प्रसार भारती।
9. सचिव, टीआरएआई।